80/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2016 अनवानी श्री राजन सतीजा, राष्ट्रीय छवि, 3/40 सुखाडिया मार्ग, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजन सतीजा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है उनके द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेतज की प्रतियां पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2015 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में जिला रसद अधिकारी द्वारा सूचनांओ की फोटो प्रति की एवज में मांगी गई राशि 2088/–रूपये रसीद सं0 394243 दिनांक 29.04.15 से जमा करवाये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जान बूझकर सूचना उपलब्ध नही करवाई जा रही है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा वार्ड न0 39 के डीपो होल्डर से संबंधित सूचना चाही थी जिस पर उचित मूल्य दुकानदार से सूचना चाही गई तो उसके द्वारा 1044 प्रतियां बताई गई। जिस पर उनके कार्यालय के पत्र सं0 692 दिनांक 27.02.15 द्वारा प्रार्थी को राशि जमा करवाने के लिए लिखा गया, जो प्रार्थी द्वारा राशि 29.04.2015 को जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत की गई। राशि जमा होने पर संबंधित मै0 पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के संचालक को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा गया तो उसके द्वारा 18.05.15 को उपस्थित होकर प्रा0 पत्र के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 में कोपरेटिव सोसायटी को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है इसलिए प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र खारिज किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश की प्रति उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2882 दिनांक 26.05.15 से प्रार्थी को प्रेषित कर सूचित कर दिया गया और राशि वापिस प्राप्त करने के लिए लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा अपील भी समय अवधि में प्रस्तुत नही की गयी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजन सतीजा ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2015 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> वार्ड न0 39 श्रीगंगानगर में डीपो होल्डर श्याम लाल कोशिक को दिनांक 01.01.2013 से आज दिनांक तक कितना मिटटी का तेल व अन्य राशन सरकार द्वारा दिया गया, उसका विवरण माहवार दिया जाए। यह राशन व मिटटी का तेल किस–2 उपभोक्ता को दिया गया उसकी माहवार सूची दी जाए।

लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की लिखित बहस अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में दिनांक 29.04.15 को फीस जमा करवाई गई है किन्तु समिति के संचालक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार कोपरेटिव सोसायटी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर माना है इसलिए उसे सूचना नही दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश की प्रति भी प्रस्तुत की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि कोपरेटिव सोसायटी को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो से बाहर माना है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय उचित है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की जानकारी हेतु अपीलार्थी को अध्यक्ष पब्लिक सहकारी उपभोक्ता भ्ण्डार वार्ड न0 38 ऐ द्वारा जिला रसद अधिकारी को दिये गये जबाब 18.05.15 एवं इसके साथ प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश की प्रतियां अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल उफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर